



ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ,
ಅಂಚೆ ಸಂ.5400, ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಾಜಸ್ವ ಭವನ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूर अंचल ,

पी.बी.सं.5400, सी.आर.भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूर-560001

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, BANGALORE ZONE,
P.B.NO.5400, C.R.BUILDING, QUEEN'S ROAD, BANGALORE-560001

ई-मैल/Email: ccbz-excise@nic.in

दूरभाष/Phone: 080-22867093

फैक्स/Fax: 080-22860354

सी.सं.C.No.IV/16/05/2018PCCOBZ

दिनांक/Date: 15.3.18

व्यापार सूची सं./TRADE NOTICE NO. 5/2018 CENTRAL TAX

व्यापार और उद्योग को यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड दिनांक 15 मार्च से 29 मार्च, 2018 तक एक विशेष अभियान 'आईजीएसटी / आईटीसी निर्यात प्रतिदाय पखवाड़ा' का आयोजन कर रहा है। व्यापार और उद्योग अपने लंबित जी.एस.टी. प्रतिदाय को शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

The trade and industry are hereby informed that the Central Board of Excise and Customs is organizing a special Drive 'IGST/ITC Exports refund fortnight' from 15th March to 29th March 2018. The trade and industry may use this opportunity to get their pending GST refunds sanctioned quickly. They can contact their respective jurisdictional offices for any assistance.

2. क्षेत्राधिकारिक मंजूरी प्राधिकरण के संपर्क विवरण वेबसाइट gstkarnataka.gov.in पर उपलब्ध हैं।

The contact details of the jurisdictional sanctioning authorities are available at the website - gstkarnataka.gov.in.


3. निर्यात वस्तुओं पर आईटीसी प्रतिदाय का दावा करनेवाले निर्यातकों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए, क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों द्वारा सहायता कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, ताकि सभी प्रतिदाय दावों का प्रसंस्करण की जा सके।

For educating exporters claiming ITC refunds on export goods, outreach will be organized by jurisdictional commissionerates, so that all refund claims could be processed.

4. कृपया जीएसटी आरएफडी -01 ए प्रपत्र में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय निम्न चरणों का पालन करें :-

Please follow the following steps while applying for refund in FORM GST RFD-01A :-

- सार्वजनिक पोर्टल www.gst.gov.in पर जीएसटी आरएफडी-01ए प्रपत्र दायर करें
File Form GST RFD-01A on the common portal www.gst.gov.in
- भरे गए प्रपत्र का एक प्रिंट आउट लें और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें
Take a print out of the filled in form and submit before jurisdictional tax officer along with all supporting documents
- करदाता को केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त और राज्य कर के आयुक्त द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रतिदाय दावे क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण के साथ ही दायर करने की आवश्यकता है।
The refund claim needs to be filed with the jurisdictional tax authority to which the taxpayer has been assigned as per the administrative order issued by the Chief Commissioner of Central Tax and the Commissioner of State Tax
- प्रतिदाय केवल एक कर प्राधिकरण के साथ दायर करना होगा। क्रमशः सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के प्रतिदाय हेतु केंद्र और राज्य के साथ पृथक रूप से दावे करने की आवश्यकता नहीं है।
The refund claim needs to be filed only with one tax authority. No need to file the claims separately with Centre and State for refund of CGST and SGST respectively
- केवल आम पोर्टल पर जीएसटी आरएफडी -01ए प्रपत्र दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक आप क्षेत्राधिकार कर कार्यालय को प्रपत्र का प्रिंटआउट नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक आपके प्रतिदाय दावे संसाधित नहीं किया जाएगा।
It is not enough to file Form GST RFD-01A on the common portal. Your refund claim will not be processed until you submit a printout of the form to the jurisdictional tax office



के. रघुएन. चारी
K. RAGHU N. CHARY

प्रधान मुख्य आयुक्त

PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER

सेवा में/To,

1. The Principal Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone
2. The Principal Commissioner/Commissioner GST, Bengaluru North, South, East, West, North West, Belgaum, Mangaluru and Mysuru
3. Master File
4. Web Master
5. Notice Board